मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् १९८२.

मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १९८२.

[दिनांक ३ मई १९८२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक ६ मई १९८२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

शाला भवन उपकर, ग्रामीण विकास उपकर तथा खनिज क्षेत्र विकास उपकर के उद्ग्रहण के लिये और उनसे आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग १—प्रारंभिक.

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १९८२ है.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिये विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

भाग २—शाला भवन उपकर.

परिभाषाएं.

२. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "संहिता" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९);

(ख) "शाला भवन उपकर" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन उद्गृहीत शाला भवन उपकर;

(ग) "भू-धारक" से अभिप्रेत है कोई भूमिस्वामी, मौरूसी कृषक या सरकारी पट्टेदार;

(घ) "खाता" से अभिप्रेत है वह समस्त भूमि जिसे कोई धारक खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट हैसियतों में से किसी एक हैसियत में या एक से अधिक हैसियतों में राज्य के भीतर धारण किये हुये है;

(ङ) "अनुसूचित जाति का सदस्य" से अभिप्रेत है किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भीतर के समूह का, जिसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य;

(च) "अनुसूचित जनजाति का सदस्य" से अभिप्रेत है किसी जनजाति, जनजाति समुदाय अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भीतर के समूह का, जिसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में उस रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य;

(छ) उन "शब्दों तथा अभिव्यक्तियों" के जो इस भाग में प्रयुक्त हुई हैं और इसमें परिभाषित नहीं की गई हैं किन्तु जो संहिता में परिभाषित की गई हैं, वे ही अर्थ होंगे जो संहिता में उनके लिये दिये गये हैं.

शाला भवन उपकर का उद्ग्रहण.

३. (१) छह हेक्टर के और उससे ऊपर के प्रत्येक ऐसे खाते पर, जो किसी धारक द्वारा धारित हो, प्रत्येक राजस्व वर्ष के लिये शाला भवन उपकर प्रति हेक्टर तीन रुपये, पचहत्तर पैसे की दर से उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जायेगा :

परन्तु इस उपधारा का उपबन्ध, किसी ऐसे खाते के संबंध में, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा धारित हो, इस प्रकार प्रभावी होगा मानो शब्द "छह हेक्टर" के स्थान पर शब्द "दस हेक्टर" स्थापित कर दिये गये हैं.

(२) उपधारा (१) के अधीन उद्गृहीत तथा संगृहीत शाला भवन उपकर उस भू-राजस्व या लगान या किसी अन्य उपकर या कर के अतिरिक्त होगा जो भूमि के धारक द्वारा उस खाते के संबंध में संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन देय है और भूमि के धारक द्वारा भू-राजस्व के साथ उसी रीति में देय होगा जिस रीति में कि भू-राजस्व देय होता है.

(३) संहिता के वे उपबन्ध, जो भू-राजस्व के निर्धारण, संग्रहण तथा वसूली से संबंधित हैं, जहां तक हो सके, इस भाग के अधीन के शाला भवन उपकर के निर्धारण, संग्रहण तथा वसूली को उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह उपकर उस खाते पर संहिता के अधीन निर्धारित भू-राजस्व हो.

४. (१) धारा ३ के अधीन के शाला भवन उपकर के आगम प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किये जायेंगे और राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ पर, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग कर दिया जाने के पश्चात्, राज्य की संचित निधि में से उतनी रकम प्रत्याहृत कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उगाहे गए शाला भवन उपकर के आगमों के समतुल्य हो, और उसे प्राथमिक शाला भवन निर्माण निधि नामक एक पृथक् निधि में जमा करेगी, और उक्त निधि में जमा ऐसी रकम मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगी.

(२) राज्य सरकार प्रतिवर्ष निधि में अपना अभिदाय करेगी जो उपधारा (१) के अधीन निधि में जमा की गई रकम के पचास प्रतिशत के बराबर होगा.

(३) निधि में जमा रकम का उपयोग, संहिता की धारा २ के खण्ड (ध-४) में यथापरिभाषित नगरेतर क्षेत्रों में प्राथमिक शाला भवन का सन्निर्माण करने तथा उसे सुसज्जित करने के लिए किया जाएगा और उस प्रयोजन के लिए किसी जिले को निधि में जमा रकम में से केवल उतनी रकम, जितनी कि उस जिले से शाला भवन उपकर के रूप में वसूल हुई हो, उस जिले के लिए राज्य सरकार के अभिदाय के पचास प्रतिशत सहित, आवंटित की जाएगी.

५. प्राथमिक शाला भवन निर्माण निधि का संधारण और परिचालन, जिसके अन्तर्गत उसमें जमा राशियों का विनिधान या पुनर्विनिधान आता है, इस भाग के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा.

भाग ३—वन विकास उपकर.

६. इस भाग में,—

(क) "वन विकास उपकर" से अभिप्रेत है धारा ७ के अधीन वन विभाग द्वारा वन-उपज के विक्रय या प्रदाय पर उद्गृहीत उपकर;

(ख) "वन विभाग" के अन्तर्गत आता है कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १) के अधीन गठित वन विकास निगम;

(ग) अभिव्यक्ति "वन-उपज" का वही अर्थ होगा जो कि उस अभिव्यक्ति के लिए भारतीय वन अधिनियम १९२७ (१९२७ का सं. १६) की धारा २ के खण्ड (४) में दिया गया है.

विक्रय / र वन / र का

७. (१) वन विभाग द्वारा वन-उपज के प्रत्येक विक्रय या प्रदाय पर वन विकास उपकर, उस कीमत के, जिस पर कि ऐसी वन-उपज बेची जाती है या उसका प्रदाय किया जाता है, एक प्रतिशत की दर से उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन उद्गृहीत वन विकास उपकर किसी ऐसे कर के अतिरिक्त होगा जो वन-उपज पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उद्ग्रहणीय है.

(३) वन विभाग द्वारा बेची गई या प्रदाय की गई वन-उपज के संबंध में उपधारा (१) के अधीन देय वन विकास उपकर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसको वन-उपज बेची जाती है या जिसको उसका प्रदाय किया जाता है और उसका संग्रहण तथा वसूली वन विभाग के उस अधिकारी या पदाधिकारी द्वारा, जो ऐसे विक्रय या प्रदाय से संबंधित हो, उसी समय किया जाएगा जबकि ऐसा विक्रय या प्रदाय किया जाता है.

[illegible] (१) के अधीन उद्गृहीत वन विकास उपकर के आगम प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा [illegible] सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ पर, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग कर दिया जाने के पश्चात्, [illegible] में से उतनी रकम प्रत्याहृत कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उगाहे गए [illegible] आगमों के समतुल्य हो, और उसे वन विकास निधि नामक एक पृथक् निधि में जमा करेगी, और उक्त [illegible] रकम मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगी.

(२) उक्त निधि में जमा रकम का उपयोग, राज्य सरकार के विवेकानुसार, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए [illegible] :—

(क) सामाजिक वानिकी प्रयोजन;

(ख) वनरोपण, पुनर्वनरोपण तथा वनों का पुनरुद्धार; और

(ग) वनों के विकास से संबंधित कोई अन्य प्रयोजन जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे.

(३) वन विकास निधि का संधारण और परिचालन इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा.

भाग ४—खनिज क्षेत्र विकास उपकर.

८. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं.

(क) "अनिवार्य भाटक" से अभिप्रेत है खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का सं. ६७) के अधीन देय अनिवार्य भाटक;

(ख) "भूमि" से अभिप्रेत है खनन संक्रियायें चलाने के लिए खनन पट्टा के अधीन धारित भूमि;

(ग) "खनिज क्षेत्र विकास उपकर" से अभिप्रेत है खनन संक्रियायें चलाने के लिये खनन पट्टा के अधीन धारित भूमि पर धारा ९. के अधीन उद्गृहीत उपकर;

(घ) "स्वामिस्व (रायल्टी)" से अभिप्रेत है खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का सं. ६७) के अधीन देय स्वामिस्व (रायल्टी) और उसके अन्तर्गत उस भूमि में से खनिज निकालने के अधिकार के लिए उक्त अधिनियम के अधीन यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को किये गये या किये जाने के लिये संभाव्य कोई संदाय आते हैं;

(ङ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस भाग में प्रयुक्त हुई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं तथा जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का सं. ६७) में परिभाषित की गई हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं.

[illegible] (१) खनन संक्रियायें चलाने के लिये खनन पट्टा के अधीन धारित भूमि पर खनिज क्षेत्र विकास उपकर, उस भूमि के भाटक मूल्य के पच्चीस प्रतिशत की दर से उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जाएगा. खनन पट्टा के अधीन की भूमि पर खनिज क्षेत्र विकास उपकर का उद्ग्रहण.

(२) उपधारा (१) के प्रयोजन के लिए, भाटक मूल्य यथास्थिति स्वामिस्व (रायल्टी) या अनिवार्य भाटक, इनमें से जो भी अधिक हो, के बराबर होगा.

(३) खनिज क्षेत्र विकास उपकर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसे खनन पट्टा अनुदत्त किया जाता है.

(४) खनिज क्षेत्र विकास उपकर का संग्रहण ऐसे प्राधिकरणों द्वारा तथा ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, उन नियमों के, जो कि इस निमित्त बनाये जायें, अध्यधीन रहते हुए तथा उनके अनुसार किया जायेगा और उसका [illegible] खनिज-धारित क्षेत्रों के विकास के लिये किया जायेगा.]

भाग ५—प्रकीर्ण.

१०. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार [illegible] को आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, दूर कर सकेगी : कठिनाई दूर करने की शक्ति.

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात्, नहीं किया जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा में अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के प्रारंभ होने" से, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के संबंध में, अभिप्रेत है प्रारंभ होने की वह सुसंगत तारीख जो उस उपबंध के संबंध में धारा १ की उपधारा (३) के अधीन नियत की गई हो.

नियम बनाने की शक्ति.

१५. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बना सकेगी.

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम राज्य विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

भोपाल, दिनांक ६ मई १९८२

क्र. ११६९५-इक्कीस-अ (प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश करारोपण अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १२ सन् १९८२) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अ. प्र. खरे, विशेष सचिव.

[illegible]

MADHYA PRADESH ACT

No. [illegible] of 1982

THE MADHYA PRADESH KARADHAN ADHINIYAM, 19[illegible]

Sections :

TABLE OF CONTENTS

PART I—PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.

PART II—SCHOOL BUILDING CESS

2. Definitions.
3. Levy of School Building cess.
4. Constitution of primary school buildings construction fund.
5. Maintenance and operation of fund.

PART III—FOREST DEVELOPMENT CESS

6. Definitions.
7. Levy of forest development cess on sale or supply of forest produce.

PART IV—MINERAL AREAS DEVELOPMENT CESS

8. Definitions.
9. Levy of mineral areas development cess on land under mining lease.

PART V—MISCELLANEOUS

10. Power to remove difficulty.
11. Power to make rules.

MADHYA PRADESH ACT

No. 15 of 1982

THE MADHYA PRADESH KARADHAN ADHINIYAM, 1982.

[Received the assent of Governor on the 3rd May, 1982; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extra-ordinary), dated the 6th May, 1982.]

An Act to provide for levy of school building cess, forest development cess and mineral areas development cess and matters incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows:—

PART I—PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Karadhan Adhiniyam, 1982.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

PART II—SCHOOL BUILDING CESS

Definitions.

2. In this part, unless the context otherwise requires,—

(a) "Code" means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(b) "school building cess" means the school building cess levied under section;

(c) "holder of land" means a tenure holder, occupancy tenant or a Government lessee;

(d) "holding" means all land held by a holder in the State in any one or more than one of the capacities specified in clause (c);

(e) "member of a Schedule Caste" means a member of any caste, race or tribe or part of a group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;

(f) "member of Schedule Tribes" means a member of any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;

(g) words and expressions used in this part and not defined herein but defined in the Code shall have the meaning assigned to them in the Code.

Levy of school building cess.

3. (1) There shall be levied and collected for every revenue year a school building cess on every holding of six hectares and above held by a holder at the rate of three rupees and seventy five paise per hectare:

Provided that the provision of this sub-section shall, in respect of a holding held by a member of Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall, have effect as if for the words "six hectares", the words "ten hectares" were substituted.

(2) The school building cess levied and collected under sub-section (1) shall be in addition to land revenue or rent or any other cess or tax payable by the holder of the land in respect of the holding under the Code or any other enactment for the time being in force and shall be payable by the holder of the land in the same manner as, and alongwith, land revenue.

(3) The provisions of the Code relating to assessment, collection and recovery of land revenue shall, so far as may be, apply to the assessment, collection and recovery of school building cess under this part as if the cess were land revenue assessed on the holding under the Code.

Constitution of Primary School Buildings Construction Fund.

4. (1) The proceeds of the school building cess under section 3 shall first be credited to the Consolidated Fund of the State and the State Government may, at the commencement of each financial year, after due appropriation has been made by law, withdraw from the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to the proceeds of the school building cess realised by the State Government in the preceding financial year and shall place it to the credit of a separate fund to be called the Primary School Buildings Construction Fund and such credit to the said fund shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh.

(2) The State Government shall every year make its contribution to the fund equal to fifty per cent. of the amount credited to the fund under sub-section (1).

(3) The amount in the credit of the fund shall be utilised for construction and furnishing of Primary School building in non-urban areas as defined in clause (2-z) of section 2 of the Code and for that purpose only so much amount in the credit of the fund shall be allotted to a district as is recovered by way of school building cess from that district together with fifty per cent. of the contribution of the State Government for that district.

Maintenance and operation of Fund.

5. The maintenance and operation of the Primary School Buildings Construction Fund, including the investment or re-investment of sums in its credit, shall be in accordance with the rules made under this Part.

PART III—FOREST DEVELOPMENT CESS

Definitions.

6. In this Part,—

(a) "forest development cess" means cess levied on sale or supply of forest produce by the Forest Department under section 7;

(b) "Forest Department" includes the Forest Development Corporation constituted under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956);

(c) the expression "forest produce" shall have the meaning assigned to that expression in clause (4) of section 2 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927);

Levy of forest development on sale or supply of forest produce.

7. (1) There shall be levie and collected a forest development cess on every sale or supply of forest produce by the Forest Department at the rate of one per cent. of the price at which such forest produce is sold or supplied.

(2) The forest development cess levied under sub-section (1) shall be in addition to any tax leviable on forest produce under any other law for the time being in force.

(3) The forest development cess payable under sub-section (1) in respect of forest produce sold or supplied by the Forest Department shall be payable by the person to whom the forest produce is sold or supplied and shall be collected by and recovered by the officer or official of the Forest Department concerned with such sale or supply at the time of such sale or supply.

(4) The proceeds of the forest development cess levied under sub-section (1) shall first be credited to the Consolidated Fund of the State and the State Government may, at the commencement of each financial year after due appropriation has been made by law, withdraw from the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to the proceeds of the forest development cess realised by the State Government in the preceeding financial year and shall place it to the credit of a separate fund to be called the Forest Development Fund and such credit to the said fund shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh.

(5) The amount in the credit of the fund shall, at the discretion of the State Government, be utilised for—

(a) social forestry purposes;

(b) afforestation, re-forestation and rehabilitation of forest; and

(c) any other purposes connected with the development of forests, as the State Government may, by notification, specify.

(6) The maintenance and operation of the Forest Development Fund shall be in accordance with the rules made in this behalf.

PART IV—MINERAL AREAS DEVELOPMENT CESS

Definitions 8. In this part, unless the context otherwise requires,—

(a) "dead rent" means the dead rent payable under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (No. 67 of 1957);

(b) "land" means land held under a mining lease for undertaking mining operations;

(c) "mineral areas development cess" means cess levied under section 9 on land held under a mining lease for undertaking of mining operations;

(d) "royalty" means the royalty payable under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (No. 67 of 1957) and includes any payments made or likely to be made to the Central Government or the State Government as the case may be for the right of raising minerals from the land under the said Act;

(e) words and expressions used but not defined in this part and defined in the Mines and Minerals (Regulation -

9. (1) There shall be levied and collected on the land held under a mining lease for undertaking mining operation a mineral areas development cess at the rate of twenty five percentum of the rental value thereof. — Levy of mineral areas development cess on land under mining lease.

(2) For the purpose of sub-section (1) rental value shall be equal to the royalty or dead rent as the case may be, whichever is higher.

(3) The mineral areas development cess shall be payable by the person to whom the mining lease is granted.

(4) The mineral areas development cess shall, subject to and in accordance with the rules made in this behalf, be collected by such agencies and in such manner as may be prescribed and shall be applied towards development of mineral bearing areas.

PART V—MISCELLANEOUS

10. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty: — Power to remove difficulty.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of one year from the date of commencement of this Act.

Explanation.—In this section the expression "commencement of this Act" means with relation to any provision of this Act, the relevant date of commencement, appointed under sub-section (3) of section 1, in relation to that provision.

11. (1) The State Government may, after previous publication, make rules to carry out the purposes of this Act. — Power to make rules.

(2) All rules made under this Act shall be laid on the table of the State Legislative Assembly.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित — 1983

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97-फ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 अप्रैल 2002—वैशाख 3, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2002

क्रमांक 3053/21-अ/प्रारूपण/01.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 17-4-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 12 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2002

छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम, 1982 (क्रमांक 15 सन् 1982) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, सीमा तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 12 सन् 2002) है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

(3) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 15 सन् 1982 का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.

2. छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम, 1982 (क्रमांक 15 सन् 1982) (जिसे इसके पश्चात् प्रमुख अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगी.

धारा 7 का संशोधन.

3. प्रमुख अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में शब्द "दो प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "तीन प्रतिशत" स्थापित किये जाएंगे.

रायपुर:
तारीख :

भारसाधक सदस्य

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2002

क्रमांक 3053/21-अ/प्रारूपण/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 12 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No.12 of 2002)

THE CHHATTISGARH KARADHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2002

An Act further to amend the Chhattisgarh Karadhan Adhiniyam, 1982 (No. 15 of 1982).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title. Extent and Commencement.

1. (1) This Adhiniyam may be called the Chhattisgarh Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (No. 12 of 2002).

(2) It extends to the whole of Chhattisgarh State.

(3) It shall come in to force from the date of publication in the official Gazette.

Chhattisgarh Act No. 15 of 1982 to be temporarily amended.

2. The Chhattisgarh Karadhan Adhiniyam, 1982 (No. 15 of 1982) (hereinafter referred to as the Principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3.

Amendment of Section 7.

3. In sub-section (1) of Section 7 of the Principal Act, for the words "two percent" the words "three percent" shall be substituted.

Raipur : **Member-in-charge**
Dated :

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 388] रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2018 — आश्विन 11, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 1 अक्टूबर 2018

क्रमांक 9696/डी. 182/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-09-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. त्रिपाठी, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 24 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2018

छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम, 1982 (क्र. 15 सन् 1982) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 6 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम, 1982(क्र. 15 सन् 1982), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, वन विकास उपकर से संबंधित धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"6. **व्यावृति.**-धारा 6 एवं 7 का संशोधन, पूर्व में ही की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व पर या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही पर या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग पर या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन पर या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति पर या पूर्व में किये गये किसी कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा."

धारा 7 का विलोपन.

3. मूल अधिनियम में, धारा 7 को विलोपित किया जाये.

धारा 10 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम में, धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"10. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.**- (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जायेगा.

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा.

अटल नगर, दिनांक 1 अक्टूबर 2018

क्रमांक 9696/डी. 182/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-10-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. त्रिपाठी, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 24 of 2018)

THE CHHATTISGARH KARADHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018

An Act further to amend the Chhattisgarh Karadhan Adhiniyam, 1982 (No. 15 of 1982).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Chhattisgarh Karadhan Adhiniyam, 1982 (No. 15 of 1982), (hereinafter referred to as the Principal Act), for Section 6 relating to Forest Development Cess, the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 6.**

"**6. Saving.**- The amendment of Section 6 and 7 shall not affect the validity, invalidity effect or consequences of anything already done or suffered or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand or any indemnity already granted or the proof or any act or thing."

3. In the Principal Act, Section 7 shall be omitted. **Omission of Section 7.**

4. In the Principal Act, for Section 10, the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 10.**

"**10. Power to Remove difficuttles.-**

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this Section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly of State."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.